न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 मैसर्स अगम डेयरी प्रोडेक्टा प्रा0लि0–ए/147 कुमद विकार भीलवाडा जरिये डारेक्टर
(1) नन्दकिशोर पुत्र श्री राधेश्याम जिन्दल
(2) श्रीमती निधि पत्नी श्री नन्दकिशोर जिन्दल
(3) पूर्वा पुत्री श्री नन्दकिशोर जिन्दल
(4) आकाश पुत्र श्री नन्दकिशोर जिन्दल आये वयस्क निवासी 237 काशीपुरी भीलवाडा
2 नन्दकिशोर पुत्र श्री राधेश्याम जिन्दल निवासी–237 काशीपुरी, भीलवाडा
3 श्रीमती निधि पत्नी श्री नन्दकिशोर जिन्दल निवासी–237 काशीपुरी, भीलवाडा
4 पूर्वा पुत्री श्री नन्दकिशोर जिन्दलनिवासी–237 काशीपुरी, भीलवाडा
5 आकाश पुत्र श्री नन्दकिशोर जिन्दल आये वयस्क निवासी 237 काशीपुरी भीलवाडा

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 श्रीमती सोनी देवी पत्नि श्री नारायण लाल अहीर निवासी–औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2 नन्दा पुत्र श्री चन्द्रा अहीर निवासी–औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा मृतक के बजाय:
1/1 मू0 जडाई देवी पत्नी नंदा अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
1/2 शंकर आत्मज नंदा अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
1/3 राधेश्याम आत्मज नंदा अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3 सीताराम पुत्र उदा अहीर निवासी–औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र आचार्य**
विपक्षीगण क्रम 01 लगायत 03
पेरोकार सरकार....................विपक्षी क्रम 04

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 09.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य [illegible] प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1[illegible] की धारा 251 (क) [illegible]पधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 3[illegible]5.2017 को प्रस्तुत [illegible]जाकर निवेदन किया कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अभि.क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1834/1 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 1834/2 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1834/3 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1834/4 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, 1834 रकबा 02 बिघा 10 बिस्वा प्रार्थी के नाम पर दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त आराजीयात आने जाने का एकमात्र रास्ता जो की औज्याडा गॉव के आम रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 1836 से होकर प्रार्थीगण अपनी अपनी प्रा0पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर आते–जाते है जो 15 फिट चौडा रास्ता बना होकर गॉडी गडार बनी हुई है जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर आदि ले जाते है उक्त रास्ते के अलावा प्राथी की प्रा0पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मोजुद नही है।

उक्त आराजियात में आने–जाने का एक मात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदमी रास्ता ही है। पूर्व के खातेदार भी इसी रास्ते से आते–जाते थे। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व विपक्षी संख्या 01 लगायात 03 की नियत में फितुर पेदा होने व प्राथीगण की आराजीयात को हडप करने की गरज से आये दिन अवरोध करने लग गये जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 04/05/2017 को अवरोध पेदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तोर इन्कार हो गया व रास्ते को बन्द करने की धमकी दी विपक्षी संख्या 01 लगायात को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 लगायात 03 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा कर रहे है व रास्ता को बन्द करने पर आमदा है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा की अराजी नम्बर भू.अभिलेख निरक्षक खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में 1834/1 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 1834/2 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1834/3 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1834/4 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, 1834 रकबा 02 बिघा 10 में आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो औज्याडा गॉव से आम रोड से विपक्ष सख्या 01 लगायात 03 की आराजी नम्बर 1836 से होकर अपनी आराजीयात पर आते–जाते से 15 फिट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाप[illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटि[illegible] हेतु तलब किया गया। दिनांक 10–01–2018 को [illegible] होने के बाद भी अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 01 के खिलाफ एक[illegible]तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिये गये। दिनांक 16–01–2019 को नियत तारीख पर विपक्षी संख्या 02 एवं 03 द्वारा जवाबदावा नहीं प्रस्तुत करने पर विपक्षी संख्या 02 एवं 03 जवाब बन्द किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

दिनांक 12—02—2019 को आदेश दिया जाकर ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अभिलेख नि. हमीरगढ तह हमीरगढ आराजी संख्या 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1834/4 तथा 1834 मे आवागमन हेतु आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 है0, किस्म बारानी II में पूर्व दिशा की ओर, मुख्य सडक(आराजी संख्या 1843) की उत्तर दिशा में, नाले के सहारे—सहारे 2 गठ्ठा चौडा रास्ता रकबा 9 बिस्वा = 9 X 0.2529 ÷ 20 है0 =0.1138 है. किस्म बारानी III स्वीकृत किया गया जाकर निर्णय पारित किया गया।

पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 से असंतुष्ट होकर विपक्षी संख्या 02 एवं 03 न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहॉ अपील दर्ज करवाई। जिसमें मा. न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा द्वारा विधिवत् सुनवाई की जाकर प्रकरण में निर्णय दिनांक 12.02.2019 को निरस्त कर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया की प्रकरण में भू.अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, वैकल्पिक रास्ते बाबत समरी इन्क्वायरी करने के उपरान्त विधिसम्मन निर्णय पारित करें।

मा. न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णयानुसार प्रकरण को पुनः बाद जॉच दिनांक 03—03—2020 को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई जारी की गई। नियत सुनवाई दिनांक 04.03.2021 को विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के खिलाफ एक—तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण भु0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्रांक /राजस्व/ 2021/99 दिनांक 22.02.2021 से मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी औज्याडा मार्फत तहसीलदार हमीरगढ से पर्चा मौका, रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया जाकर संयुक्त परिक्षण पश्चात् प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत पेश की गई रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की मौजा औज्याडा स्थित आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 में से 0.1150 हैक्टयर भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है, अतः प्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा [illegible] में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून लाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

तहसीलदार हमीरगढ मार्फत भू.अ.निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र 0.1150 हैक्टयर यानि 15 फिट का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 है0 में सें 0.1150 हैक्टयर रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मैनें पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। प्रार्थीगण द्वारा 0.1150 हैक्टयर का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ.निरीक्षक द्वारा मौजा औज्याडा स्थित आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 है0 मे से 0.1150 पूर्व कि मेड के सहारे नाले के सहारे–सहारे रास्ता मॉगा है तथा राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शे में करवाने का अनुतोष चाहा है। विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने में, कोई उजर/आपत्ति व्यक्त नही की गई इसलिए नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाकर मौजा औज्याडा स्थित आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 है0 किस्म बारानी III में से 0.1150 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रस्ताव एक प्रति तहसीलदार हमीरगढ को भिजवाई जाकर हल्का पटवारी के प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा अनुसार रास्ता कायम किया जावें।

–::आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. औज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1836 रकबा 3.3762 है किस्म बारानी III में से 0.1150 है0 पूर्व कि मेड के सहारे नाले के सहारे–सहारे भूमि में प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 15 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1836 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदा[illegible] डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 00.1150 हैक्टयर मालियत रा[illegible]नी राशि राज्य कोष/अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 03 को अद[illegible] दी जावें। तथा आराजी संख्या 1836 मे से रकबा 0.1150 है0 घटाया [illegible]। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.03.19 14:28:27 IST
Reason: SelfAttested